न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 61/2017 ::

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति रोहट		1. ग्राम पंचायत रोहट जरिए सरपंच 2. लीलादेवी पत्नी स्वरूपराम जी जाति जटिया निवासी रोहट तहसील रोहट जिला पाली 3. सूर्यप्रकाश कल्ला पुत्र जेठमल जी कल्ला जाति कल्ला निवासी 3–अ–19, चौपासनी हॉउसिंग बोर्ड, पहले पुलीये के पास, जोधपुर तहसील एवं जिला जोधपुर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थित ::

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 15/7/19

यह निगरानी प्रार्थी के द्वारा अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 ग्राम पंचायत रोहट के मिसल संख्या 64/2003–04 प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 25.06.2004 एवं इसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 2449 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस व ग्राम पंचायत रोहट का रेकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय हेतु बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 सुनी गई।

प्रार्थी विकास अधिकारी ने प्रस्तुत निगरानी में उल्लेख किया है कि ग्राम पंचायत रोहट द्वारा मौजा रोहट चक I के खसरा नम्बर 1109/774 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी दोयम उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रयोजनार्थ क्षेत्र रोहट की खातेदारी भूमि में जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। जो आबादी भूमि नहीं है, पंचायत को उसकी नजूल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है।

जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी द्वारा निगरानी में यह भी उल्लेख किया गया है कि उद्योग विभाग की शिकायत पर तहसीलदार रोहट ने ग्राम पंचायत रोहट से जैर निगरानी पट्टा संबंधी रिकार्ड मांगा तो ग्रा.प. रोहट के पत्रांक 2017/267 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा सूचित किया कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 2449 से संबंधित मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम नहीं की गई। कोरम में कोई प्रस्ताव नहीं लिए गए, न ही अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निगरानीधीन पट्टा जारी किया गया। इस प्रकार पट्टा फर्जी व कूटरचित तैयार किया गया। जिस पर मिसल नम्बर एवं जारी करने की दिनांक भी अंकित नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत जारी किया गया, जिसके तहत केवल मात्र पुराने गृहों का विनियमितीकरण करने का प्रावधान है। जो 50 वर्षो से अधिक पुराने है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय जैर निगरानी आराजी खाली रूप में स्थित थी, जो पंजीकृत रजिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है, जो अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 03.06.2008 को निस्पादित की गई है, जो उपपंजीयक तहसीलदार रोहट के कार्यालय में दिनांक 03.06.2008 को जरिये पंजीकृत रजिस्ट्री के निस्पादित की गई है। खसरा नम्बर 1109/774 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी द्वितीय उद्योग विभाग, आद्यौगिक प्रयोजनार्थ क्षेत्र रोहट की खातेदारी भूमि है, जिसमें पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी, न ही पंचायत ने कोई पट्टा जारी किया, ग्राम पंचायत रोहट प्रार्थी विकास अधिकारी के अधीन आती है तथा जैर निगरानी पट्टा के वर्णित भूमि ग्राम पंचायत सर्कल के अधीन नहीं आती है। तहसीलदार रोहट ने जरिए पत्रांक 385 दिनांक 22.03.2017 द्वारा प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टा फर्जी रूप से जारी होने से निरस्त कराने हेतु निर्देशित किया, इसलिए हस्तगत निगरानी पेशकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत पेश कर निवेदन है कि जैर निगरानी पट्टा संख्या 2449 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे पर कहीं भी खसरा नम्बर अंकित नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उक्त पट्टा खातेदारी भूमि में जारी किया गया है, न ही इस संबंध में उद्योग विभाग ने तहसीलदार रोहट द्वारा जरिए पत्रांक राजस्व/17/386–88 दिनांक 22.03.2017 के सूचना देने के उपरांत भी निगरानी पेश की है तथा न ही प्रस्तुत निगरानी में पक्षकार बनकर पैरवी करने का प्रयास ही किया है। जिससे यह माना जा सके कि जैर निगरानी पट्टा उक्त

जिला कलेक्टर, पाली

विभाग के नाम की खातेदारी भूमि में जारी किया गया है। मात्र जमाबंदी की प्रति निगरानी में लगाने से पट्टा खातेदारी आराजी में जारी होना नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार रोहट के निर्देशों पर विकास अधिकारी रोहट द्वारा की गई, जबकि विकास अधिकारी रोहट स्वयं का इस प्रकार जारी पट्टो की मिसलों के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार है। फिर भी विकास अधिकारी रोहट मौन रहे तथा पंचायत भी मौन रही। जिसका औचित्य स्पष्ट नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा सन् 2004 में जैर निगरानी पट्टा संख्या 2449 जारी किया गया, जिसके 04 वर्ष बाद अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में उक्त पट्टे को बेचान कर पंजीयन तहसीलदार रोहट के ही कार्यालय में सन् 2008 में करा दिया गया तथा उसके 9 वर्षो बाद निगरानी पेश की गई है। इस प्रकार पट्टा खारिज करने की आड़ में 11 वर्ष पुराने पंजीकृत दस्तावेज को इस न्यायालय द्वारा खारिज कराना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार के पंजीकृत दस्तोवज को खारिज करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। पटवारी की मौका फर्द दिनांक 23.03.2017 से स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मौके पर निगरानी आराजी के चारो तरफ वर्तमान मालिक अप्रार्थी संख्या 3 सुर्यप्रकाश कल्ला पुत्र जेठमल कल्ला ने चार दिवारी बना रखी है तथा होद का निर्माण करा रखा है। ऐसे में उसे खाली पड़ी भूमि भी नहीं माना जा सकता है। निर्माण कितना पुराना है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। जैर निगरानी पट्टे में प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 25.06.2004 का अंकन है तथा प्रस्ताव रजिस्टर व मिसल आदि पंचायत में नहीं होने का पत्र भिजवाया है, पंचायत रिकार्ड के लिए पंचायत जिम्मेदार है। इसके लिए पट्टेधारी को दोषी माना जाकर एवं बेचाणसुदा पंजीकृत पट्टा को निरस्त करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं ग्राम पंचायत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत रोहट द्वारा जैर निगरानी पट्टा संख्या 2449 को जारी किया गया। जिसकी अपील सुनने का अधिकार प्रार्थी स्वयं को ही था। अगर जैर निगरानी भूमि उद्योग विभाग औद्योगिक प्रयोजनार्थ क्षेत्र की थी, तो उद्योग विभाग को अपील करनी चाहिए थी अथवा निगरानी प्रस्तुत कर समय पर पट्टा खारिज करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। जबकि उद्योग विभाग को तहसीलदार रोहट द्वारा जरिए पत्रांक राजस्व/17/386–88 दिनांक 22.03.2017 के लिखने के उपरान्त भी पट्टा निरस्त की कार्यवाही नहीं की गई, न ही इस निगरानी में पक्षकार ही बने आदिनांक विभाग मौन है। ऐसी स्थिति में तथ्य मानने योग्य नहीं है कि जैर निगरानी पट्टा उद्योग विभाग की खातेदारी भूमि में जारी किया गया है। पट्टे पर

जिला कलेक्टर, पाली

भी कहीं भी खसरा नम्बर अंकित नहीं है, जिससे यह माना जा सके कि पट्टा किसी खसरा नम्बर की खातेदार भूमि में जारी किया गया है तथा जैर निगरानी नजूल आबादी भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में पट्टा खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। जैर निगरानी आराजी पट्टा संख्या 2449 को अप्रार्थी संख्या 2 लीलादेवी पत्नी स्वरूपराम के नाम जारी किया गया, जिसे 4 वर्ष के पश्चात लीलादेवी ने उक्त आराजी को सूर्यप्रकाश कल्ला पुत्र जेठमल कल्ला निवासी जोधपुर जिला जोधपुर को दिनांक 03.06.2008 को पंजीयन अधिकारी तहसीलदार रोहट के कार्यालय में पंजीकृत रजिस्ट्री से बेचाण कर दिया गया तथा उसके ठीक 9 वर्षो के पश्चात दिनांक 26.04.2017 को निगरानी तहसीलदार रोहट के द्वारा निर्देशित करने पर प्रस्तुत की गई। कुल 13 वर्षो की अवधी तक निगरानी प्रस्तुत नहीं करने का कारण स्पष्ट नहीं है तथा इस प्रकार जैर निगरानी पट्टे की आड में दिनांक 03.06.2008 को 11 वर्षो के बाद आज पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त नहीं किया जा सकता है तथा न ही ऐसे पंजीकृत दस्तावेज को खारिज करने की अधिकारिता इस न्यायालय को है। इसके लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही हेतु प्रार्थी स्वतंत्र है। भूमि पर पट्टा आराजी के क्रेता की चार दिवारी उस पर होज बनाकर कब्जा कर रखा है, जो कितने पुराने है, कब लगे है, यह स्पष्ट नहीं है तथा पंचायत में रेकर्ड नहीं होने के बिनाय पर पट्टा निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत रोहट के मिसल संख्या 64/2003–04 प्रस्ताव संख्या 04 दिनांक 25.06.2004 एवं इसकी अनुपालना में जारी पट्टा संख्या 2449 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, रोहट एवं ग्राम पंचायत रोहट को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15/7/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)